राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक : एफ-4 (5) ग्रावि/ग्रारो/सामान्य/NREGS/08-09 जयपुर, दिनांक : 8-10-2008

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
समस्त (राज.)

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत श्रमिकों के नियोजन बाबत।

संदर्भः- विभागीय पत्र दिनांक 27.03.08 एवं 29.05.08 एवं 25.08.08

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के अन्तर्गत निष्पादित कराए जा रहे कार्यो पर नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों को 5-5 के समूह में लगाए जाने के निर्देश दिये गये हैं। मेट के नियोजन बाबत जारी निर्देशों में भी यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया था कि मेट नियोजित किये जा रहे श्रमिकों को उनकी आपसी सहमति के आधार पर 5-5 के समूह बनाकर उनके नाम मस्टररोल में अंकित करेगा एवं समूह के आधार पर ही कार्य का आवंटन व निष्पादित कार्य की माप मेट माप प्रपत्र में दर्ज करेगा। इसी प्रकार तकनीकी सहायकों को भी समूहवार कार्यों का मूल्यांकन कर, समूह द्वारा निष्पादित कार्य के अनुरूप मजदूरी कराने के निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त कार्यो पर श्रमिकों का नियोजन 5-5 के रूप में अनिवार्य रूप से किया जावे एवं मेट उन्हें समूहवार कार्य आवंटित करें एवं प्रतिदिन निष्पादित कार्य का इन्द्राज मेट माप प्रपत्र में दर्ज किया जावे। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान समूहवार निष्पादित कार्य का मूल्यांकन तकनीकी सहायक द्वारा किया जाकर उसके अनुरूप ही भुगतान कराया जावे।

उक्त निर्देशों की पालना न होने पर संबंधित तकनीकी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

भवदीय

(मंजू राजपाल)
निदेशक, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, समस्त (राजस्थान) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अधिशाषी अभियंता, ईजीएल, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान) को पालनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, ईजीएस